संख्या-1839/9-3-13-52सी/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
नगर विकास अनुभाग -3

लखनऊ: दिनॉक: 19 सितम्बर 2013

विषय: आदेश संख्या -628/ अ-4-2/191-0034/11, दिनॉक 26-4-2011 से आच्छादित नियमित कर्मचारी (फील्ड) आश्रित नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-02/अ-4-2/191-0034/13, दिनॉक 24-04-2013 एवं पत्र संख्या 06/अ-4/191-0034/13 दिनॉक 10-07-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या-634/9-3-11-243सी/97 दिनॉक 12-04-2011 में अंकित 3134 अधिसंख्य पदों के अनुसार नियमित किये गये फील्ड कर्मचारियों को आश्रित नियुक्ति देय है या नहीं पर मार्ग दर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत व्यक्ति की सेवायें विनियमित कर दिये जाने की तिथि से उसे मौलिक रूप से नियुक्ति माना जाता है। मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु पश्चात मृतक आश्रित को सेवानियमावली,1974 के अन्तर्गत उनके आश्रित को सेवायोजन किया जा सकता है। तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in